क्षेत्रीय कार्यालय एवं प्रयोगशाला
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बो
जे–1, ज्ञान सरोवर कालो
रामघाट रोड, अलीगढ़–2

पत्रांक: 2511/OA-425/22/2024 दि0 09-02-2024

To,

The Registrar,
Hon'ble National Green Tribunal,
Copernicus Marg, New Delhi.

Sub: <u>Report on behalf of U.P. Pollution Control Board in Compliance to order dated 21.12.2023 passed by the Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi in Original Application No. 425/2022 M. C. Dwivedi Vs State of Uttar Pradesh & Ors.</u>

Respected Sir,

In the above noted case, Hon'ble NGT has given direction as below:

"------1. Learned Counsel for UPPCB seeks four weeks time to verify the fact if all the four brick kilns in question have been closed down.

2. List on 12.02.2024."

In compliance of above direction report on behalf of U.P. Pollution Control Board is submitted for kind perusal and further action in this regard.

Encl: As above

Your's Sincerely,

Regional Officer
UPPCB

Copy:

1- Shri Pradeep Mishra, Counsil
2- Chief Environmental Officer, UPPCB, Lucknow
3- Law Officer (Incharge), UPPCB, Lucknow

Regional Officer

Report on behalf of U.P. Pollution Control Board in Compliance of order dated 21.12.2023 passed by the Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi in Original Application No. 425/2022 M. C. Dwivedi Vs State of Uttar Pradesh & Ors.

The Hon'ble NGT has passed an order dated 21.12.2023 in O.A. No. 425/2022 M.C. Dwivedi Vs State of Uttar Pradesh & Ors. The operative portion of the order is as under:--

"------1. Learned Counsel for UPPCB seeks four weeks time to verify the fact if all the four brick kilns in question have been closed down.

2. List on 12.02.2024."

In compliance of above mentioned Hon'ble NGT order dt 21.12.2023, the current status report is as below;

1- U.P. Pollution Control Board has issued closure order against 04 brick kilns identified in O.A. No. 425/2022 M.C. Dwivedi Vs. State of Uttar Pradesh & Ors. The copies of the closure order are enclosed as **Annexure-I**

2- The latest inspection of these brick kiln was held on 07.02.2024. The unit wise detail of brick kilns are as below;

   i) **M/s Sarpanch Ent Udyog, Vill.-Ramchhitauni, P.O.- Gadhka, Thana-Ganjdudwara, Tehsil- Sahawar, District Kasganj**:- During inspection it was found that the brick kiln was not operational and no stock of raw bricks were found in the trench or nearby area. The Environmental Compensation of Rs. 75,000/- was imposed by U.P. Pollution Control Board vide letter dated 14.02.2023 and since the unit has not deposited the imposed environmental compensation therefore District Magistrate, Kasganj was requested to issue recovery certificate vide letter dated 19.12.2023. The copy of the letter dt. 14.02.2023 and 19.12.2023 are enclosed as **Annexure-II**

   ii) **M/s Diamond Brick Field, Vill.-Ramchhitauni, P.O.- Gadhka, Thana-Ganjdudwara, Tehsil- Sahawar, District Kasganj**:- During inspection it was found that the brick kiln was not operational and no stock of raw bricks were found in the trench or nearby area. The Environmental Compensation of Rs. 25,000/- was imposed by U.P. Pollution Control Board vide letter dated 14.02.2023 and since the unit has not deposited the impose environmental compensation therefore District Magistrate, Kasganj was requested to issue recovery certificate vide letter dated 19.12.2023. The copy of the letter dt. 14.02.2023 and 19.12.2023 are enclosed as **Annexure-III**

   iii) **M/s Ujala Bricks (New name- M/s J.P. Ent Bhatta), Vill.-Ramchhitauni, P.O.- Gadhka, Thana- Ganjdudwara, Tehsil- Sahawar, District Kasganj**:- During inspection it was found that the brick kiln was operational in violation of closure order issued by Board. The deterrent Environmental Compensation

of Rs. 11,25,000/- has been imposed against the brick kiln by U.P. Pollution Control Board vide letter dated 09.02.2024 for the violation period from 25.12.2023 to 07.02.2024 and the copy of the letter is endorse to District Magistrate Kasganj for information and necessary action.

iv) **M/s Famous Bricks, Vill.- Ramchhitauni, P.O.- Gadhka, Thana- Ganjdudwara, Tehsil- Sahawar, District Kasganj**:- During inspection it was found that the brick kiln was operational in violation of closure order issued by Board. The deterrent Environmental Compensation of Rs. 11,25,000/- has been imposed against the brick kiln by U.P. Pollution Control Board vide letter dated 09.02.2024 for the violation period from 25.12.2023 to 07.02.2024 and the copy of the letter is endorse to District Magistrate, Kasganj for information and necessary action. Earlier also the Environmental Compensation of Rs. 1,75,000/- was imposed by U.P. Pollution Control Board vide letter dated 14.02.2023 and since the unit has not deposited the impose environmental compensation therefore District Magistrate Kasganj was requested to issue recovery certificate vide letter dated 19.12.2023. The copy of the letter dt. 14.02.2023 and 19.12.2023 are enclosed as **Annexure-IV.**

3- That during inspection dated 05.01.2024 two brick kilns Namely M/s Ujala Bricks (New name- M/s J.P. Ent Bhatta), Vill.-Ramchhitauni, P.O.- Gadhka, Thana- Ganjdudwara, Tehsil- Sahawar, District Kasganj and M/s Famous Bricks, Vill.- Ramchhitauni, P.O.- Gadhka, Thana- Ganjdudwara, Tehsil- Sahawar, District Kasganj were found involved in raw bricks casting therefore a letter on dt. 11.01.2024 was sent to District Magistrate Kasganj with a request to direct SDM Sahawar, Mining inspector Kasganj and Circle officer Police Sahawar Kasganj to restrain the operation of these two brick kilns and ensure the compliance of closure order issued by U.P. Pollution Control Board. The copy of the letter dated 11.01.2024 send to District Magistrate Kasganj is enclosed as **Annexure-V.**

4- The inspection of 04 brick kilns was conducted on dt. 15.01.2024 with SDM, Sahawar, Distt. Kasganj, Police Inspector, Ganjdundwara, Distt. Kasganj & Fire Department, Kasganj, during inspection M/s Ujala Bricks (New name- M/s J.P. Ent Bhatta), Vill.-Ramchhitauni, P.O.- Gadhka, Thana- Ganjdudwara, Tehsil- Sahawar, District Kasganj and M/s Famous Bricks, Vill.- Ramchhitauni, P.O.- Gadhka, Thana- Ganjdudwara, Tehsil- Sahawar, District Kasganj were found in operational & whichwere closedown by the team on the same day & rest two brick kiln namely M/s Sarpanch Ent Udhyog & M/s Diamond Ent Udhyog were found not in operational. Compliance report attached as **Annexure – VI.**

5- Again latest inspections of 04 brick kilns were conducted on dt. 07.02.2024, during inspection M/s Ujala Bricks (New name- M/s J.P. Ent Bhatta), Vill.- Ramchhitauni, P.O.- Gadhka, Thana- Ganjdudwara, Tehsil- Sahawar, District Kasganj and M/s Famous Bricks, Vill.- Ramchhitauni, P.O.- Gadhka, Thana- Ganjdudwara, Tehsil- Sahawar, District Kasganj were found repeated in operational & rest two brick kilns namely M/s Sarpanch Ent Udhyog & M/s

Diamond Ent Udhyog were found not in operational. Environmental compensation imposed against those defaulter brick kilns as mention above in point no.2. A letter has been sent to District Magistrate, Kasganj vide letter dt. 08.02.2024 requesting to direct SDM Sahawar, Mining inspector, Kasganj and Circle officer Police, Sahawar, Kasganj to restrain the operation of M/s Ujala Bricks New name- M/s J.P. Ent Bhatta & M/s Famous Bricks. The copy of the letter dated 08.02.2024 is enclosed as **Annexure-VII.**

ALIGARH
DATED: 09-2-2024

Regional Officer
U.P. Pollution Control Board
Aligarh

संलग्नक-1

12/9/22

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पंजीकृत

संदर्भ संख्याः 1130617/सी–4/ईंट–1041/बन्दी आदेश/2022, दिनांक: 2-9-22

मै0 फेमस ब्रिक्स, (निर्माणाधीन)
गाटा सं0–8, ग्राम–खरपरा, थाना–गंजडुड़वारा, तहसील–सहावर,
जनपद–कासगंज।

निर्माणाधीन ईंट भट्ठा मै0 फेमस ब्रिक्स, गाटा सं0–8, ग्राम–खरपरा, थाना–गंजडुड़वारा, तहसील–सहावर, जनपद–कासगंज ईंट के उत्पादन कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित किया जा रहा है/स्थापित जो कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि निर्माणाधीन ईंट भट्ठा मै0 फेमस ब्रिक्स, गाटा सं0–8, ग्राम–खरपरा, थाना–गंजडुड़वारा, तहसील–सहावर, जनपद–कासगंज का निरीक्षण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, अलीगढ़ के प्राधिकारियों द्वारा दिनांक 31.08.2022 को ईंट भट्ठा प्रतिनिधि श्री अब्दुल खलीक (पार्टनर) की उपस्थिति में किया गया। आख्यानुसार निरीक्षण के समय ईंट भट्ठा परिसर में ईंट भट्ठे के निर्माण हेतु पक्की ईंटें भण्डारित पायी गयी एवं ईंट भट्ठे के कार्यालय भवन का निर्माण कार्य होता हुआ पाया गया। ईंट भट्ठे के प्रस्तावित स्थल से पूरब दिशा में लगभग–860 मीटर की दूरी पर ग्राम–पचपोखरा, दक्षिण–पूरब दिशा में लगभग–670 मी0 की दूरी पर ग्राम–खरपरा, दक्षिण–पश्चिम दिशा में लगभग–540 मी0 की दूरी पर आम का बाग, दक्षिण दिशा में लगभग–490 मी0 दूरी पर आम का बाग स्थित है एवं दक्षिण–पश्चिम दिशा में लगभग–780 मी0 दूरी पर मै0 सरपंच ईंट उद्योग, ग्राम–रामछितौनी, पो0 गरका, थाना–गंजडुडवारा, तह0 सहावर जनपद–कासगंज स्थित है। दक्षिण–पूरब दिशा में नगर पालिका परिषद्–गंजडुडवारा की सीमा लगभग 2.4 कि.मी. की दूरी पर है। निरीक्षण में पाया गया कि प्रश्नगत ईंट भट्ठा राज्य बोर्ड से बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये स्थापित किया जा रहा है। ईंट भट्ठा बोर्ड द्वारा जारी उ0प्र0 ईंट भट्ठा (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली, 2012 के अनुरूप नहीं है। उक्त ईंट भट्ठा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दायर ओ0ए0 सं0–425/22 एम0सी0 द्विवेदी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 13.07.2022 में आच्छादित है।

उक्त के दृष्टिगत क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ के द्वारा पत्रांक–1312/एनओसी–3121/2022 दिनांक–01.09.2022 के माध्यम से प्रेषित आख्या में अनाधिकृत रूप से स्थापित किये जा रहे निर्माणाधीन ईंट भट्ठा मै0 फेमस ब्रिक्स, गाटा सं0–8, ग्राम–खरपरा, थाना–गंजडुड़वारा, तहसील–सहावर, जनपद–कासगंज के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा– 31ए के अंतर्गत बन्दी आदेश जारी किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः क्षेत्रीय क्षेत्रीय कार्यालय से प्राप्त आख्या/संस्तुति दिनांक 01.09.2022 के अनुक्रम में निर्माणाधीन ईंट भट्ठा मै0 फेमस ब्रिक्स, गाटा सं0–8, ग्राम–खरपरा, थाना–गंजडुड़वारा, तहसील–सहावर, जनपद–कासगंज के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अंतर्गत राज्य बोर्ड द्वारा निम्नलिखित आदेश/निर्देश जारी किये जाते हैं :–

1. यह कि निर्माणाधीन ईंट भट्ठा मै0 फेमस ब्रिक्स, गाटा सं0–8, ग्राम–खरपरा, थाना–गंजडुड़वारा, तहसील–सहावर, जनपद–कासगंज द्वारा अनाधिकृत रूप से स्थापित किये जा रहे ईंट भट्ठा के निर्माण कार्य को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाए।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अनाधिकृत रूप से स्थापित किये जा रहे निर्माणाधीन ईंट भट्ठा मै0 फेमस ब्रिक्स, गाटा सं0–8, ग्राम–खरपरा, थाना–गंजडुड़वारा, तहसील–सहावर, जनपद–कासगंज को मिलने वाली सुविधाओं जैसे कोयले की आपूर्ति, खनन की अनुमति, पानी की आपूर्ति, जिला पंचायत की अनुमति आदि न दें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–4

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. जिलाधिकारी, कासगंज को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उद्योग के संचालन को तत्काल अपने स्तर से बंद करवाने हेतु कृपया सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. प्रभारी अधिकारी, खनन, जनपद–कासगंज को सूचनार्थ एवं आवश्य कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, जनपद–कासगंज को इस आशय के साथ कि भट्ठे का लाइसेन्स निरस्त करते हुए भट्ठे को अपने स्तर से बंद कराने का कष्ट करें।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कासगंज को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संबंधित अधिकारियों से सम्पर्क कर उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराकर अनुपालन आख्या तीन दिन में प्रेषित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–4

JE/MA
Jelma
2083
13/09/22

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पंजीकृत

संदर्भ संख्याः H89564 /सी–4/ईट–1043/बन्दी/2023, दिनांक 21-2-23

मै0 उजाला ब्रिक्स,
ग्राम–रामछितौनी, पोस्ट–गरका, तहसील–सहावर,
जनपद–कासगंज

मै0 उजाला ब्रिक्स, ग्राम–रामछितौनी, पोस्ट–गरका, तहसील–सहावर, जनपद–कासगंज द्वारा कच्चे माल के रूप में मिट्टी, बालू एवं पानी का प्रयोग कर ईट के उत्पादन हेतु उक्त वर्णित स्थल पर स्थापित है, जो वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि प्रश्नगत ईट भट्ठा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दायर ओ0ए0 सं0–425/22 एम0सी0 द्विवेदी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 13.07.2022 से आच्छादित होने के दृष्टिगत क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अलीगढ़ द्वारा प्रेषित आख्या/संस्तुति दिनांक 01.09.2022 के अनुक्रम में बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक–एच80619/सी–4/ईट–1042/बन्दी आदेश/2022, दिनांक 02.09.2022 द्वारा मै0 उजाला ब्रिक्स, ग्राम–रामछितौनी, पोस्ट–गरका, तहसील–सहावर, जनपद–कासगंज के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।

यह कि प्रश्नगत ईट भट्ठे द्वारा प्रस्तुत उत्तर के परिप्रेक्ष्य में क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ के अधिकृत प्राधिकारियों द्वारा ईट भट्ठे का स्थलीय निरीक्षण दिनांक 08.02.2023 को ईट भट्ठा प्रतिनिधि श्री भगवान सिंह की उपस्थिति में किया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्ठा संचालित नहीं पाया गया। ग़िरीक्षण के समय ईट भट्ठे पर स्थापित प्लेटफार्म केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाया गया। ईट भट्ठे के चारों ओर वाहनों के आवागमन हेतु पक्की सड़क स्थापित नहीं पायी गयी एवं धूल आदि के नियंत्रण हेतु पानी के छिड़काव की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी।

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ द्वारा पत्रांक–2946/केएस–537/2023 दिनांक 20.02.2023 द्वारा प्रेषित ईट भट्ठे की निरीक्षण आख्या में प्रश्नगत ईट भट्ठे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत बन्दी की कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गई है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये ईट भट्ठा मै0 उजाला ब्रिक्स, ग्राम–रामछितौनी, पोस्ट–गरका, तहसील–सहावर, जनपद–कासगंज के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित बन्दी आदेश जारी किया जाता हैः–

1. यह कि मै0 उजाला ब्रिक्स, ग्राम–रामछितौनी, पोस्ट–गरका, तहसील–सहावर, जनपद–कासगंज के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दें।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे मै0 उजाला ब्रिक्स, ग्राम–रामछितौनी, पोस्ट–गरका, तहसील–सहावर, जनपद–कासगंज को मिलने वाली खनन अनुज्ञा तथा लाइसेन्स को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–4

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –
1. जिलाधिकारी, कासगंज को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि प्रश्नगत ईट भट्ठे के विरूद्ध जारी बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. प्रभारी अधिकारी, खनन, जनपद–कासगंज को इस आशय से प्रेषित कि उक्त ईट भट्ठे की खनन अनुज्ञा पत्र निरस्त कर दिया जाये।
3. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, जनपद–कासगंज को इस आशय से प्रेषित कि ईट भट्ठे को उनके द्वारा ईट पथाई एवं फुकाई हेतु निर्गत लाइसेंस, अनुमति आदि निरस्त करते हुए भट्ठे को अपने स्तर से भी बन्द करवाने का कष्ट करें।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि जिलाधिकारी से समन्वय स्थापित कर उपरोक्त बन्दी आदेश का अनुपालन कराते हुए अनुपालन आख्या 03 दिन के अन्दर मुख्यालय प्रेषित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–4

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पंजीकृत

संदर्भ संख्या: H80784/सी–4/ईंट–1043/बन्दी आदेश/2022, दिनांक 7-9-22

मै0 डायमण्ड ब्रिक फील्ड,
ग्राम–रामछितौनी, पोस्ट–गरका,
जनपद–कासगंज।

मै0 डायमण्ड ब्रिक फील्ड, ग्राम–रामछितौनी, पोस्ट–गरका, जनपद–कासगंज द्वारा कच्चे माल के रूप में मिट्टी, बालू एवं पानी का प्रयोग कर ईंट के उत्पादन हेतु उक्त वर्णित स्थल पर स्थापित है जो वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय, अलीगढ़ के प्राधिकारियों द्वारा प्रश्नगत ईंट भट्ठे का निरीक्षण दिनांक 31.08.2022 को ईंट भट्ठा प्रतिनिधि श्री अतर सिंह (चौकीदार) की उपस्थिति में किया गया। संदर्भित ईंट भट्ठा चिमनी से लगभग लगभग–430 मीटर की दूरी पर उत्तर दिशा में ग्राम–रामछितौनी, पूरब दिशा में लगभग–450 मी0 की दूरी पर मै0 सरपंच ईंट उद्योग स्थित है, दक्षिण–पूर्व दिशा में लगभग–230 मी0 की दूरी पर आम का बाग तथा पूरब दिशा में लगभग– 730 मी0 दूरी पर आम का बाग स्थित है। ईंट भट्ठे की चिमनी से दक्षिण–पूरब दिशा में नगर पालिका परिषद्–गंजडुडवारा की सीमा लगभग–3.3 कि.मी. की दूरी पर है, जो 2012 की नियमावली के विरुद्ध है। आख्यानुसार प्रश्नगत ईंट भट्ठे की स्थापना राज्य बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना की गयी है एवं बिना सहमति (जल/वायु) प्राप्त किये ईंट भट्ठे का संचालन किया जा रहा है। उक्त ईंट भट्ठा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दायर ओ0ए0 सं0–425/22 एम0सी0 द्विवेदी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 13.07.2022 में आच्छादित है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

"..... 21. Restrictions on use of certain industrial plants.—

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant......"

क्षेत्रीय अधिकारी, अलीगढ़ द्वारा पत्र सं0–1313/केडी–104/2022 दिनांक 01.09.2022 के माध्यम से ईंट भट्ठे के विरुद्ध दिनांक 15.05.2022 से 18.06.2022 तक कुल 35 दिन डिफाल्टर मानते हुए रू0 12,500/– प्रतिदिन के आधार पर कुल रू0 4,37,500/– (रूपये चार लाख सैंतीस हजार पांच सौ) मात्र की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–37 के अंतर्गत बन्दी आदेश जारी किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये ईंट भट्ठा मै0 डायमण्ड ब्रिक फील्ड, ग्राम–रामछितौनी, पोस्ट–गरका, जनपद–कासगंज के विरुद्ध दिनांक 15.05.2022 से 18.06.2022 तक कुल 35 दिन डिफाल्टर मानते हुए रू0 12,500/– प्रतिदिन के आधार पर कुल रू0 4,37,500/– (रूपये चार लाख सैंतीस हजार पांच सौ) मात्र की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित बन्दी आदेश जारी किया जाता है :–

1. यह कि मै0 डायमण्ड ब्रिक फील्ड, ग्राम–रामछितौनी, पोस्ट–गरका, जनपद–कासगंज के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दें।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे मै0 डायमण्ड ब्रिक फील्ड, ग्राम–रामछितौनी, पोस्ट–गरका, जनपद–कासगंज को मिलने वाली खनन अनुज्ञा तथा लाइसेन्स को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–4

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. जिलाधिकारी, कासगंज को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि प्रश्नगत ईंट भट्ठे के विरुद्ध जारी बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. प्रभारी अधिकारी, खनन, जनपद–कासगंज को इस आशय से प्रेषित कि उक्त ईंट भट्ठे के की खनन अनुज्ञा पत्र निरस्त कर दिया जाये।
3. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, जनपद–कासगंज को इस आशय से प्रेषित कि ईंट भट्ठे को उनके द्वारा ईंट पथाई एवं फुकाई हेतु निर्गत लाइसेंस, अनुमति आदि निरस्त करते हुए भट्ठे को अपने स्तर से भी बन्द करवाने का कष्ट करें।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ को इस निर्देश के साथ कि प्रश्नगत ईंट भट्ठे द्वारा संचालित ईंट पथाई एवं फुंकाई कार्य को तत्काल रुकवाये जाने हेतु जिलाधिकारी से समन्वय स्थापित कर उपरोक्त बन्दी आदेश का अनुपालन कराते हुए अनुपालन आख्या 03 दिन के अन्दर मुख्यालय प्रेषित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–4

टी.सी.–12वी., विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226010
ई–मेल–info@uppcb.com
वेबसाइट–www.uppcb.com

TC.-12V., Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010
E-mail: info@uppcb.com
Web Site: www.uppcb.com

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H63517 /C-4/Gen-II-758/Closure/2021 *Date 16.07.2021*

पंजीकृत

M/s Sarpanch Ent Udhyog, Village-Chitaoni, Sahawar, kasganj
कासगंज।

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ से प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद कासगंज की सूची में आपके ईट भट्ठें का नाम अंकित है, जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा। उद्योग द्वारा कच्चे माल के रूप में मिट्टी, पानी, कोयला का प्रयोग कर ईट के उत्पादन हेतु स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

.... 21. Restrictions on use of certain industrial plants.—
(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant......

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद कासगंज में राज्य बोर्ड की सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध ईट भट्ठों की सूची में आपका ईट भट्ठा भी सम्मिलित है। आपके ईट भट्ठा उद्योग का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपके ईट भट्ठें के संचालन को तत्काल प्रभाव से रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपके ईट भट्ठे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्न बन्दी आदेश जारी किया जाता हैं:–

1. यह कि आपके ईट भट्ठें के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपके ईट भट्ठा को मिलने वाली खनन अनुज्ञा तथा लाइसेन्स को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–4)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, कासगंज को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–7, उत्तर प्रदेश, शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 303/81–7–2021–39(पर्या)/2014– टी00सी0–1 दिनांक 15.03.2021 तथा शासनादेश संख्या 582/81–7–2021–39(पर्या)/2014–टी00सी0–1 दिनांक 08.07.2021 के अनुपालन में संलग्न सूची में अंकित ईट भट्ठों के विरूद्ध जारी बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु सम्बन्धित प्रशासनिक अधिकारियों, जिला पंचायत, खनन विभाग एवं अन्य सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, कासगंज को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–7, उत्तर प्रदेश, शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 303/81–7–2021–39(पर्या)/2014–टी0सी0–1 दिनांक 15.03.2021 तथा शासनादेश संख्या 582/81–7–2021–39(पर्या)/2014–टी00सी0–1 दिनांक 08.07.2021 के अनुपालन में संलग्न सूची में अंकित ईट भट्ठों के विरूद्ध जारी बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु अग्रिम कार्यवाही करने का कष्ट करें।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संलग्न सूची में अंकित ईट भट्ठों के विरूद्ध जारी बन्दी आदेशों को तत्काल सम्बन्धित ईट भट्ठों को प्राप्त करायें एवं अनुपालन सुनिश्चित कराकर अनुपालन आख्या अविलम्ब प्रेषित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–4)

संलग्नक-2

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पंजीकृत

पत्रांक : 1187107 / सी–4 / ईंट–1176 / पर्या0क्षति0 / 2023 दिनांक : 14-02-23

सेवा में,

मै0 सरपंच ईंट उद्योग, (वर्तमान नाम–मै0 सरपंच ब्रिक्स),
ग्राम–रामछितौनी, पोस्ट–गढ़का, थाना–गंजडुडवारा, तहसील–सहावर,
जनपद–कासगंज

विषय : पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0–837 / 2022 सुन्तेरा सिंह बनाम उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.11.2022 के अनुपालन में संयुक्त समिति द्वारा प्रश्नगत ईंट भट्ठे का निरीक्षण दिनांक 23.01.2023 को ईंट भट्ठा प्रतिनिधि श्री सतेन्द्र सिंह (मुनीम) की उपस्थिति में किया गया। निरीक्षण के दौरान ईंट भट्ठा राज्य बोर्ड से संचालनार्थ सहमति (जल / वायु) प्राप्त किये बिना संचालित पाया गया। संदर्भित ईंट भट्ठा स्थल उ0प्र0 शासन द्वारा जारी उ0प्र0 ईंट भट्ठा (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली, 2012 दिनांक 27.06.2012 की गाईडलाइन के अनुरूप नहीं है। तत्क्रम में बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या–एच63517 / सी–4 / सामान्य–II-758 / बन्दी / 2021, दिनांक 16.07.2021 के माध्यम से मै0 सरपंच ईंट उद्योग, (वर्तमान नाम–मै0 सरपंच ब्रिक्स), ग्राम–रामछितौनी, पोस्ट–गढ़का, थाना–गंजडुडवारा, तहसील–सहावर, जनपद–कासगंज के विरूद्ध बन्दी आदेश जारी किया गया।

क्षेत्रीय अधिकारी, अलीगढ द्वारा प्रेषित आख्या / संस्तुति पत्र संख्या–2722 / केएस–167 / 2023 दिनांक 31.01.2023 में दिनांक 21.01.2023 से दिनांक 23.01.2023 तक कुल 03 दिन को डिफाल्टर मानते हुए ईंट भट्ठे के विरूद्ध केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु जारी गाइडलाइन के अनुसार 12,500 / – प्रतिदिन की दर से 03 दिवस हेतु कुल रू0 37,500 / – की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–37 के अन्तर्गत अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गई है।

उल्लंघनकारी इकाईयों के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के संबंध में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाइडलाइन के बिन्दु संख्या–1.3.1 (g) में उल्लिखित है कि :–

g. *In order to include deterrent effect for repeated violations, EC may be increased on exponential basis, i.e. by 2 times on 1st repetition, 4 times on 2nd repetition and 8 times on further repetitions.*

अतः क्षेत्रीय अधिकारी, अलीगढ द्वारा प्रेषित आख्या / संस्तुति दिनांक 31.01.2023 के दृष्टिगत मै0 सरपंच ईंट उद्योग, (वर्तमान नाम–मै0 सरपंच ब्रिक्स), ग्राम–रामछितौनी, पोस्ट–गढ़का, थाना–गंजडुडवारा, तहसील–सहावर, जनपद–कासगंज के विरूद्ध बोर्ड द्वारा जारी आदेशों की अवहेलना किये जाने के कारण केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाईडलाइन में उल्लिखित निर्देशों In order to deterrent effect for repeated violations हेतु रू0 25,000 / – प्रतिदिन गणना के आधार पर कुल रू0 75,000 / – (रूपये पिचत्तहर हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित की गयी धनराशि रू0 75,000 / – (रूपये पिचत्तहर हजार मात्र) को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ के बैंक खाता सं0–701502010002104 IFSC Code UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कराना सुनिश्चित करें। जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय, अलीगढ एवं बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ को भी प्रेषित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय

20/2/23

प्रभारी, वृत्त–4

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. जिलाधिकारी, कासगंज।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु संदर्भित उद्योग की मूल प्रतियां एवं पूर्ण विवरण साक्ष्य सहित उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रभारी, वृत्त–4

टी.सी.–12वी., विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ–226010
ई–मेल–info@uppcb.com
वेबसाइट–www.uppcb.com

TC.-12V., Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010
E-mail: info@uppcb.com
Web Site: www.uppcb.com

21/02/23

क्षेत्रीय कार्यालय एवं प्रयोगशाला
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
जे-1, ज्ञान सरोवर कॉलोनी, रामघाट रोड, अलीगढ़

संलग्नक-4

पत्रांक 1900/OA No- 425/23

दिनांक 19.12.23

सेवा में,

जिलाधिकारी महोदया,
कासगंज।

विषयः- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या-425/2023 एम0सी0 द्विवेदी बनाम स्टेट ऑफ यूपी में पारित आदेश दिनांक 06.10.2023 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या-425/2023 एम0सी0 द्विवेदी बनाम स्टेट ऑफ यूपी में पारित आदेश दिनांक 06.10.2023 (छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या-एच03025/सी-4/सा-159/पर्या0क्षति0/2023 दिनांक 17.11.2023 (छायाप्रति संलग्न) के साथ सलग्न सूची में वर्णित इकाईयों के समक्ष अंकित अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि की भू-राजस्व के भांति वसूली कराते हुए उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सम्बन्धित खाते में जमा कराने हेतु अनुरोध किया गया है। संलग्न सूची में से निम्नलिखित तीन भट्ठों का प्रकरण मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या-425/2023 एम0सी0 द्विवेदी बनाम स्टेट ऑफ यूपी में विचाराधीन है:-

1. M/s Daimond Brick Field, Vill- Ramchhitoni, Po-Ghadhka, Thana-Gandudwara, Teh- Sahawar, Distt-Kashganj.
2. M/s Sarpanch Ent Udyog (Vartman Name- M/s Sarpanch Bricks), Vill-Ramchhitoni, Po- Ghadhka, Thana-Gandudwara, Teh-Sahawar, Distt-Kashganj.
3. M/s Famous Bricks, Gata No.8, Vill-Kharpara, Thana- Gandudwara, Teh-Sahawar, Distt-Kashganj.

अतः आपसे अनुरोध है कि निम्नलिखित उक्त तीन ईंट भट्ठों के समक्ष अंकित अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि की भू-राजस्व के भांति वसूली कराने एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या-701502010002104 IFCS CODE UBIN0570150 में जमा कराने तथा बोर्ड को सूचित कराने हेतु सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें:-

S. No	District	Name and Address of Industry	Environmental Compensation Imposed (In Rs.)	Date of Letter Issued
1	Kasganj	M/s Daimond Brick Field, Vill- Ramchhitoni, Po-Ghadhka, Thana-Gandudwara, Teh-Sahawar, Distt-Kashganj	25000	H-89109/C-4/Ent- 1042/EC/2023 Date 14.02.2023
2	Kasganj	M/s Sarpanch Ent Udyog (Vartman Name-M/s Sarpanch Bricks), Vill-Ramchhitoni, Po-Ghadhka, Thana-Gandudwara, Teh-Sahawar, Distt-Kashganj	75000	H-89103/C-4/Ent- 1176/E.C/2023 Date 14.02.2023
3	Kasganj	M/s Famous Bricks, Gata No.8, Vill-Kharpara, Thana- Gandudwara, Teh-Sahawar, Distt-Kashganj	175000	H-89108/C-4/Ent- 1041/EC/2023 Date 14.02.2023

उक्त आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(डा0 जे0पी0 सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0)

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को मयसंलग्नकों सहित सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), कासगंज।
2. उपजिलाधिकारी तहसील-सहावर, जनपद-कासगज।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-4), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ

क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0)

संलग्नक-3

संलग्नक-2

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पत्रांक : H89109 /सी–4/ईट–1042/पर्या0क्षति0/2023 पंजीकृत

सेवा में, दिनांक : 14-02-23

मै0 डायमण्ड ब्रिक फील्ड,
ग्राम–रामछितौनी, पोस्ट–गढ़का, थाना–गंजडुडवारा, तहसील–सहावर,
जनपद–कासगंज

विषय : पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0–837/2022 सुन्तेरा सिंह बनाम उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.11.2022 के अनुपालन में संयुक्त समिति द्वारा प्रश्नगत ईट भट्ठे का निरीक्षण दिनांक 23.01.2023 को ईट भट्ठा प्रतिनिधि श्री इसरत अली (मुनीम) की उपस्थिति में किया गया। निरीक्षण के दौरान ईट भट्ठा राज्य बोर्ड से संचालनार्थ सहमति (जल/वायु) प्राप्त किये बिना संचालित पाया गया। संदर्भित ईट भट्ठा स्थल उ0प्र0 शासन द्वारा जारी उ0प्र0 ईट भट्ठा (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली, 2012 दिनांक 27.06.2012 की गाईडलाइन के अनुरूप नहीं है। तत्क्रम में बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या–एच80794/सी–4/ईट–1043/बन्दी आदेश/2022, दिनांक 07.09.2022 के माध्यम से मै0 डायमण्ड ब्रिक फील्ड, ग्राम–रामछितौनी, पोस्ट–गढ़का, थाना–गंजडुडवारा, तहसील–सहावर, जनपद–कासगंज के विरूद्ध बन्दी आदेश जारी किया गया।

क्षेत्रीय अधिकारी, अलीगढ़ द्वारा प्रेषित आख्या/संस्तुति पत्र संख्या–2723/केडी–104/2023 दिनांक 31.01.2023 में दिनांक 23.01.2023 से दिनांक 23.01.2023 तक कुल 01 दिन को डिफाल्टर मानते हुए ईट भट्ठे के विरूद्ध केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु जारी गाइडलाइन के अनुसार 12,500/– प्रतिदिन की दर से 01 दिवस हेतु कुल रू0 12,500/– की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–37 के अन्तर्गत अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गई है।

उल्लंघनकारी इकाईयों के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के संबंध में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाइडलाइन के बिन्दु संख्या–1.3.1 (g) में उल्लिखित है कि :–

g. *In order to include deterrent effect for repeated violations, EC may be increased on exponential basis, i.e. by 2 times on 1st repetition, 4 times on 2nd repetition and 8 times on further repetitions.*

अतः क्षेत्रीय अधिकारी, अलीगढ़ द्वारा प्रेषित आख्या/संस्तुति दिनांक 31.01.2023 के दृष्टिगत मै0 डायमण्ड ब्रिक फील्ड, ग्राम–रामछितौनी, पोस्ट–गढ़का, थाना–गंजडुडवारा, तहसील–सहावर, जनपद–कासगंज के विरूद्ध बोर्ड द्वारा जारी आदेशों की अवहेलना किये जाने के कारण केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाईडलाइन में उल्लिखित निर्देशों In order to deterrent effect for repeated violations हेतु रू0 25,000/– प्रतिदिन गणना के आधार पर कुल रू0 25,000/– (रूपये पच्चीस हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित की गयी धनराशि रू0 25,000/– (रूपये पच्चीस हजार मात्र) को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ के बैंक खाता सं0–701502010002104 IFSC Code UBINO570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कराना सुनिश्चित करें। जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय, अलीगढ़ एवं बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ को भी प्रेषित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

प्रभारी, वृत्त–4

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. जिलाधिकारी, कासगंज।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु संदर्भित उद्योग की मूल प्रतियां एवं पूर्ण विवरण साक्ष्य सहित उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

Atulesh yadav
प्रभारी, वृत्त–4

क्षेत्रीय कार्यालय एवं प्रयोगशाला
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
जे-1, ज्ञान सरोवर कॉलौनी, रामघाट रोड, अलीगढ़

पत्रांक 1900/OA No-425/23 दिनांक 19.12.23

सेवा में,

जिलाधिकारी महोदया,
कासगंज।

विषयः– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–425/2023 एम0सी0 द्विवेदी बनाम स्टेट ऑफ यूपी में पारित आदेश दिनांक 06.10.2023 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–425/2023 एम0सी0 द्विवेदी बनाम स्टेट ऑफ यूपी में पारित आदेश दिनांक 06.10.2023 (छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या–एच03025/सी–4/सा–159/पर्या0क्षति0/2023 दिनांक 17.11.2023 (छायाप्रति संलग्न) के साथ संलग्न सूची में वर्णित इकाईयों के समक्ष अंकित अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि की भू–राजस्व के भांति वसूली कराते हुए उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सम्बन्धित खाते में जमा कराने हेतु अनुरोध किया गया है। संलग्न सूची में से निम्नलिखित तीन भट्ठों का प्रकरण मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–425/2023 एम0सी0 द्विवेदी बनाम स्टेट ऑफ यूपी में विचाराधीन हैं:–

1. M/s Daimond Brick Field, Vill- Ramchhitoni, Po-Ghadhka, Thana-Gandudwara, Teh- Sahawar, Distt-Kashganj.
2. M/s Sarpanch Ent Udyog (Vartman Name- M/s Sarpanch Bricks), Vill-Ramchhitoni, Po- Ghadhka, Thana-Gandudwara, Teh-Sahawar, Distt-Kashganj.
3. M/s Famous Bricks, Gata No.8, Vill-Kharpara, Thana- Gandudwara, Teh-Sahawar, Distt-Kashganj.

अतः आपसे अनुरोध है कि निम्नलिखित उक्त तीन ईट भट्ठों के समक्ष अंकित अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि की भू–राजस्व के भांति वसूली कराने एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या–701502010002104 IFCS CODE UBIN0570150 में जमा कराने तथा बोर्ड को सूचित कराने हेतु सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें:–

S. No	District	Name and Address of Industry	Environmental Compensation Imposed (In Rs.)	Date of Letter Issued
1.	Kasganj	M/s Daimond Brick Field, Vill- Ramchhitoni, Po-Ghadhka, Thana-Gandudwara, Teh-Sahawar, Distt-Kashganj	25000	H-89109/C-4/Ent- 1042/EC/2023 Date 14.02.2023
2	Kasganj	M/s Sarpanch Ent Udyog (Vartman Name- M/s Sarpanch Bricks), Vill-Ramchhitoni, Po-Ghadhka, Thana-Gandudwara, Teh-Sahawar, Distt-Kashganj	75000	H-89103/C-4/Ent- 1176/E.C/2023 Date 14.02.2023
3	Kasganj	M/s Famous Bricks, Gata No.8, Vill-Kharpara, Thana- Gandudwara, Teh-Sahawar, Distt-Kashganj	175000	H-89108/C-4/Ent- 1041/EC/2023 Date 14.02.2023

उक्त आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
(डा0 जे0पी0 सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0)

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को मयसंलग्नकों सहित सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), कासगंज़।
2. उपजिलाधिकारी तहसील–सहावर, जनपद–कासगंज।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–4), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ

क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0)

संलग्नक-4

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पंजीकृत

पत्रांक : H89108 / सी–4 / ईट–1041 / पर्या0क्षति0 / 2023 दिनांक : 14-02-23

सेवा में,

मै0 फेमस ब्रिक्स,
गाटा संख्या–8, ग्राम–खरपरा, थाना–गंजडुडवारा, तहसील–सहावर,
जनपद–कासगंज

विषय : **पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0–837 / 2022 सुन्तेरा सिंह बनाम उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.11.2022 के अनुपालन में संयुक्त समिति द्वारा प्रश्नगत ईंट भट्ठे का निरीक्षण दिनांक 23.01.2023 को ईट भट्ठा प्रतिनिधि श्री अब्दुल खलीक (पार्टनर) की उपस्थिति में किया गया। निरीक्षण के दौरान ईट भट्ठा राज्य बोर्ड से संचालनार्थ सहमति (जल / वायु) प्राप्त किये बिना संचालित पाया गया। संदर्भित ईट भट्ठा स्थल उ0प्र0 शासन द्वारा जारी उ0प्र0 ईट भट्ठा (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली, 2012 दिनांक 27.06.2012 की गाईडलाइन के अनुरूप नहीं है। तत्क्रम में बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या–एच80617 / सी–4 / ईट–1041 / बन्दी आदेश / 2022, दिनांक 02.09.2022 के माध्यम से मै0 फेमस ब्रिक्स, गाटा संख्या–8, ग्राम–खरपरा, थाना–गंजडुडवारा, तहसील–सहावर, जनपद–कासगंज के विरूद्ध बन्दी आदेश जारी किया गया।

क्षेत्रीय अधिकारी, अलीगढ़ द्वारा प्रेषित आख्या / संस्तुति पत्र संख्या–2736 / एनओसी–3121 / 2023 दिनांक 31.01.2023 में दिनांक 17.01.2023 से दिनांक 23.01.2023 तक कुल 07 दिन को डिफाल्टर मानते हुए ईट भट्ठे के विरूद्ध केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु जारी गाइडलाइन के अनुसार 12,500 / – प्रतिदिन की दर से 07 दिवस हेतु कुल रू0 87,500 / – की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–37 के अन्तर्गत अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गई है।

उल्लंघनकारी इकाईयों के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के संबंध में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाइडलाइन के बिन्दु संख्या–1.3.1 (g) में उल्लिखित है कि :–

g. *In order to include deterrent effect for repeated violations, EC may be increased on exponential basis, i.e. by 2 times on 1st repetition, 4 times on 2nd repetition and 8 times on further repetitions.*

अतः क्षेत्रीय अधिकारी, अलीगढ़ द्वारा प्रेषित आख्या / संस्तुति दिनांक 31.01.2023 के दृष्टिगत मै0 फेमस ब्रिक्स, गाटा संख्या–8, ग्राम–खरपरा, थाना–गंजडुडवारा, तहसील–सहावर, जनपद–कासगंज के विरूद्ध बोर्ड द्वारा जारी आदेशों की अवहेलना किये जाने के कारण केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाईडलाइन में उल्लिखित निर्देशों In order to deterrent effect for repeated violations हेतु रू0 25,000 / – प्रतिदिन गणना के आधार पर कुल रू0 1,75,000 / – (रूपये एक लाख पिचत्तहर हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित की गयी धनराशि रू0 1,75,000 / – (रूपये एक लाख पिचत्तहर हजार मात्र) को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ के बैंक खाता सं0–701502010002104 IFSC Code UBINO570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कराना सुनिश्चित करें। जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय, अलीगढ़ एवं बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ को भी प्रेषित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

20/2/23

प्रभारी, वृत्त–4

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. जिलाधिकारी, कासगंज।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु संदर्भित उद्योग की मूल प्रतियां एवं पूर्ण विवरण साक्ष्य सहित उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

Atulesh yadav

प्रभारी, वृत्त–4

टी.सी.–12वी., विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ–226010
ई–मेल–info@uppcb.com
वेबसाइट–www.uppcb.com

TC.-12V., Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010
E-mail: info@uppcb.com
Web Site: www.uppcb.com

क्षेत्रीय कार्यालय एवं प्रयोगशाला
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
जे-1, ज्ञान सरोवर कॉलौनी, रामघाट रोड, अलीगढ़

पत्रांक 1900/OA No-425/23 दिनांक 19.12.23

सेवा में,

जिलाधिकारी महोदया,
कासगंज।

विषयः— मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–425/2023 एम0सी0 द्विवेदी बनाम स्टेट ऑफ यूपी में पारित आदेश दिनांक 06.10.2023 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–425/2023 एम0सी0 द्विवेदी बनाम स्टेट ऑफ यूपी में पारित आदेश दिनांक 06.10.2023 (छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या–एच03025/सी–4/सा–159/पर्या0क्षति0/2023 दिनांक 17.11.2023 (छायाप्रति संलग्न) के साथ संलग्न सूची में वर्णित इकाईयों के समक्ष अंकित अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि की भू–राजस्व के भांति वसूली कराते हुए उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सम्बन्धित खाते में जमा कराने हेतु अनुरोध किया गया है। संलग्न सूची में से निम्नलिखित तीन भट्ठों का प्रकरण मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–425/2023 एम0सी0 द्विवेदी बनाम स्टेट ऑफ यूपी में विचाराधीन हैः–

1. M/s Daimond Brick Field, Vill- Ramchhitoni, Po-Ghadhka, Thana-Gandudwara, Teh- Sahawar, Distt-Kashganj.
2. M/s Sarpanch Ent Udyog (Vartman Name- M/s Sarpanch Bricks), Vill-Ramchhitoni, Po- Ghadhka, Thana-Gandudwara, Teh-Sahawar, Distt-Kashganj.
3. M/s Famous Bricks, Gata No.8, Vill-Kharpara, Thana- Gandudwara, Teh-Sahawar, Distt-Kashganj.

अतः आपसे अनुरोध है कि निम्नलिखित उक्त तीन ईट भट्ठों के समक्ष अंकित अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि की भू–राजस्व के भांति वसूली कराने एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या–701502010002104 IFCS CODE UBIN0570150 में जमा कराने तथा बोर्ड को सूचित कराने हेतु सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें:–

S. No	District	Name and Address of Industry	Environmental Compensation Imposed (In Rs.)	Date of Letter Issued
1	Kasganj	M/s Daimond Brick Field, Vill- Ramchhitoni, Po-Ghadhka, Thana-Gandudwara, Teh-Sahawar, Distt-Kashganj	25000	H-89109/C-4/Ent-1042/EC/2023 Date 14.02.2023
2	Kasganj	M/s Sarpanch Ent Udyog (Vartman Name- M/s Sarpanch Bricks), Vill-Ramchhitoni, Po-Ghadhka, Thana-Gandudwara, Teh-Sahawar, Distt-Kashganj	75000	H-89103/C-4/Ent-1176/E.C/2023 Date 14.02.2023
3	Kasganj	M/s Famous Bricks, Gata No.8, Vill-Kharpara, Thana- Gandudwara, Teh-Sahawar, Distt-Kashganj	175000	H-89108/C-4/Ent-1041/EC/2023 Date 14.02.2023

उक्त आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(डा0 जे0पी0 सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0)

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को मयसंलग्नकों सहित सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), कासगंज।
2. उपजिलाधिकारी तहसील–सहावर, जनपद–कासगंज।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–4), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ

क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0)

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पंजीकृत

पत्रांक : H06802 /सी–4/ईट–1041/पर्या०क्षति०/2024 दिनांक : 9-2-2024

सेवा में,

मै० फेमस ब्रिक्स,
गाटा संख्या–8, ग्राम–खरपरा, थाना–गंजडुडवारा, तहसील–सहावर,
जनपद–कासगंज।

विषय : पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०–837/2022 सुन्तेश सिंह बनाम उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.11.2022 के अनुपालन में संयुक्त समिति द्वारा प्रश्नगत ईट भट्ठे का निरीक्षण दिनांक 23.01.2023 को ईट भट्ठा प्रतिनिधि श्री अब्दुल खलीक (पार्टनर) की उपस्थिति में किया गया। निरीक्षण के दौरान ईट भट्ठा राज्य बोर्ड से संचालनार्थ सहमति (जल/वायु) प्राप्त किये बिना संचालित पाया गया। सदर्भित ईट भट्ठा स्थल उ०प्र० शासन द्वारा जारी उ०प्र० ईट भट्ठा (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली, 2012 दिनांक 27.06.2012 की गाईडलाइन के अनुरूप नहीं है। तत्क्रम में बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या–एच80617/सी–4/ईट–1041/बन्दी आदेश/2022, दिनांक 02.09.2022 के माध्यम से मै० फेमस ब्रिक्स, गाटा संख्या–8, ग्राम–खरपरा, थाना–गंजडुडवारा, तहसील–सहावर, जनपद–कासगंज के विरूद्ध बन्दी आदेश जारी किया गया।

उल्लंघनकारी इकाईयों के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के संबंध में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाइडलाइन के बिन्दु संख्या–1.3.1 (g) में उल्लिखित है कि :–

g. *In order to include deterrent effect for repeated violations, EC may be increased on exponential basis, i.e. by 2 times on 1st repetition, 4 times on 2nd repetition and 8 times on further repetitions.*

क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ द्वारा प्रेषित आख्या/संस्तुति दिनांक 31.01.2023 के दृष्टिगत बोर्ड के पत्रांक–एच89108/सी–4/ईट–1041/पर्या०क्षति०/2023, दिनांक 14.02.2023 के माध्यम से मै० फेमस ब्रिक्स, गाटा संख्या–8, ग्राम–खरपरा, थाना–गंजडुडवारा, तहसील–सहावर, जनपद–कासगंज के विरूद्ध बोर्ड द्वारा जारी आदेशों की अवहेलना किये जाने के कारण केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाईडलाइन में उल्लिखित निर्देशों In order to deterrent effect for repeated violations हेतु रू0 25,000/– प्रतिदिन गणना के आधार पर कुल रू0 1,75,000/– (रूपये एक लाख पिचत्तहर हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई थी, जिसे बोर्ड के पत्रांक–एच03025/सी–4/सा–159/पर्या०क्षति०/2023, दिनांक 17.11.2023 द्वारा भू–राजस्व की भांति वसूली करते हुए बोर्ड के खाते में जमा कराये जाने हेतु जिलाधिकारी, कासगंज को पत्र प्रेषित किया गया है।

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०–425/2022 एम०सी० द्विवेदी बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० में पारित आदेश दिनांक 21.12.2022 के अनुपालन में मै० फेमस ब्रिक्स, गाटा संख्या–8, ग्राम–खरपरा, थाना–गंजडुडवारा, तहसील–सहावर, जनपद–कासगंज का नवीनतम निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 07.02.2024 को किया गया। निरीक्षण आख्यानुसार निरीक्षण के दौरान ईट भट्ठा संचालित पाया गया। ईट भट्ठे के विरूद्ध प्रकरण मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन होने के कारण ईट भट्ठे का स्थलीय निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, अलीगढ के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा पूर्व में दिनांक 05.01.2024 एवं 15.01.2024 को किया गया था। निरीक्षण के समय ईट भट्ठा बन्दी आदेश प्रभावी होने के उपरान्त भी संचालित पाये जाने के कारण पूर्व में ईट भट्ठे को तहसील प्रशासन के साथ दिनांक 15.01.2024 को ईट भट्ठे का उत्पादन कार्य बन्द करा

दिया गया था। क्षेत्रीय अधिकारी, अलीगढ़ द्वारा पत्रांक–2419/एनओसी–3121/2024, दिनांक 07.02.2024 के माध्यम से प्रेषित आख्या में पूर्व प्रेषित आख्याओं के आधार पर ईंट भट्ठे के विरूद्ध केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु जारी गाइडलाइन के अनुसार रू0 6,250/– प्रतिदिन की दर से दिनांक 25.12.2023 से दिनांक 05.01.2024 तक उल्लंघन दिवस मानते हुए कुल 12 दिवस हेतु कुल 75,000/–, दिनांक 06.01.2024 से दिनांक 15.01.2024 तक उल्लंघन दिवस मानते हुए कुल 10 दिवस हेतु कुल 62,500/– एवं दिनांक 16.01.2024 से दिनांक 07.02.2024 तक उल्लंघन दिवस मानते हुए कुल 23 दिवस हेतु कुल 1,43,750/– की अतिरिक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के साथ–साथ अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति प्रेषित की गई है।

अतः क्षेत्रीय अधिकारी, अलीगढ़ द्वारा प्रेषित उपरोक्तानुसार आख्या/संस्तुति दिनांक 07.02.2024 के दृष्टिगत मै0 फेमस ब्रिक्स, गाटा संख्या–8, ग्राम–खरपरा, थाना–गंजडुडवारा, तहसील–सहावर, जनपद–कासगंज के विरूद्ध बोर्ड द्वारा जारी आदेशों की अवहेलना किये जाने के कारण केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाईडलाइन में उल्लिखित निर्देशों In order to deterrent effect for repeated violations हेतु रू0 25,000/– प्रतिदिन गणना के आधार पर दिनांक 25.12.2023 से दिनांक 07.02.2024 तक 45 उल्लंघन दिवसों हेतु कुल रू0 11,25,000/– (रूपये ग्यारह लाख पच्चीस हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित की गयी धनराशि रू0 11,25,000/– (रूपये ग्यारह लाख पच्चीस हजार मात्र) को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ के बैंक खाता सं0–701502010002104 IFSC Code UBINO570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कराना सुनिश्चित करें। जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय, अलीगढ़ एवं बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ को भी प्रेषित करें।

<u>सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।</u>

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–4

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. जिलाधिकारी, कासगंज।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संदर्भित ईंट भट्ठे के विरूद्ध अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु विधि अनुभाग द्वारा वांछित प्रपत्रों की मूल प्रतियां एवं पूर्ण विवरण साक्ष्य सहित उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–4

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पंजीकृत

पत्रांक : H06801 / सी–4 / ईट–1043 / का0ब0नो0 / 2023 दिनांक : 9-2-2024

सेवा में,

मै0 उजाला ब्रिक्स (वर्तमान नाम–मै0 जे0पी0 ईट भट्ठा),
ग्राम–रामछितौना, पोस्ट–गढ़का, थाना–गंजडुडवारा, तहसील–सहावर,
जनपद–कासगंज।

विषय : पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0–425 / 2022 एम0सी0 द्विवेदी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 13.07.2022 के अनुपालन में क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ द्वारा प्रेषित आख्या / संस्तुति दिनांक 20.02.2023 के अनुक्रम में बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या–एच89504 / सी–4 / ईट–1043 / बन्दी / 2023, दिनांक 21.02.2023 के माध्यम से मै0 उजाला ब्रिक्स (वर्तमान नाम–मै0 जे0पी0 ईट भट्ठा), ग्राम–रामछितौना, पोस्ट–गढ़का, थाना–गंजडुडवारा, तहसील–सहावर, जनपद–कासगंज के विरूद्ध बन्दी आदेश जारी किया गया।

उल्लंघनकारी इकाईयों के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के संबंध में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाइडलाइन के बिन्दु संख्या–1.3.1 (g) में उल्लिखित है कि :–

g. *In order to include deterrent effect for repeated violations, EC may be increased on exponential basis, i.e. by 2 times on 1st repetition, 4 times on 2nd repetition and 8 times on further repetitions.*

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0–425 / 2022 एम0सी0 द्विवेदी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 21.12.2022 के अनुपालन में मै0 उजाला ब्रिक्स (वर्तमान नाम–मै0 जे0पी0 ईट भट्ठा), ग्राम–रामछितौना, पोस्ट–गढ़का, थाना–गंजडुडवारा, तहसील–सहावर, जनपद–कासगंज का नवीनतम निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 07.02.2024 को किया गया। निरीक्षण आख्यानुसार निरीक्षण के दौरान ईट भट्ठा संचालित पाया गया। ईट भट्ठे के विरूद्ध प्रकरण मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन होने के कारण ईट भट्ठे का स्थलीय निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, अलीगढ़ के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा पूर्व में दिनांक 05.01.2024 एवं 15.01.2024 को किया गया था। निरीक्षण के समय ईट भट्ठा बन्दी आदेश प्रभावी होने के उपरान्त भी संचालित पाये जाने के कारण पूर्व में ईट भट्ठे को तहसील प्रशासन के साथ दिनांक 15.01.2024 को ईट भट्ठे का उत्पादन कार्य बन्द करा दिया गया था। क्षेत्रीय अधिकारी, अलीगढ़ द्वारा पत्रांक–2418 / केएस–537 / 2024, दिनांक 07.02.2024 के माध्यम से प्रेषित आख्या में पूर्व प्रेषित आख्याओं के आधार पर ईट भट्ठे के विरूद्ध केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु जारी गाइडलाइन के अनुसार रू0 6,250 /– प्रतिदिन की दर से दिनांक 25.12.2023 से दिनांक 05.01.2024 तक उल्लंघन दिवस मानते हुए कुल 12 दिवस हेतु कुल रू0 75,000 /–, दिनांक 06.01.2024 से दिनांक 15.01.2024 तक उल्लंघन दिवस मानते हुए कुल 10 दिवस हेतु कुल रू0 62,500 /– एवं दिनांक 16.01.2024 से

दिनांक 07.02.2024 तक उल्लंघन दिवस मानते हुए कुल 23 दिवस हेतु कुल रू0 1,43,750/– की अतिरिक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के साथ-साथ अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति प्रेषित की गई है।

अतः क्षेत्रीय अधिकारी, अलीगढ़ द्वारा प्रेषित उपरोक्तानुसार आख्या/संस्तुति दिनांक 07.02.2024 के दृष्टिगत मै0 उजाला ब्रिक्स (वर्तमान नाम-मै0 जे0पी0 ईट भट्ठा), ग्राम-रामछितौना, पोस्ट-गढ़का, थाना-गंजडुडवारा, तहसील-सहावर, जनपद-कासगंज के विरूद्ध बोर्ड द्वारा जारी आदेशों की अवहेलना किये जाने के कारण केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाईडलाइन में उल्लिखित निर्देशों In order to deterrent effect for repeated violations हेतु रू0 25,000/– प्रतिदिन गणना के आधार पर दिनांक 25.12.2023 से दिनांक 07.02.2024 तक 45 उल्लंघन दिवसों हेतु कुल रू0 11,25,000/– (रूपये ग्यारह लाख पच्चीस हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित की गयी धनराशि रू0 11,25,000/– (रूपये ग्यारह लाख पच्चीस हजार मात्र) को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ के बैंक खाता सं0-701502010002104 IFSC Code UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कराना सुनिश्चित करें। जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय, अलीगढ़ एवं बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ को भी प्रेषित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-4

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. जिलाधिकारी, कासगंज।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संदर्भित ईट भट्ठे के विरूद्ध अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु विधि अनुभाग द्वारा वांछित प्रपत्रों की मूल प्रतियां एवं पूर्ण विवरण साक्ष्य सहित उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-4

9/2/24

सत्यापित Email 12/01/24

क्षेत्रीय कार्यालय एवं प्रयोगशाला
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
जे-1, ज्ञान सरोवर कॉलौनी, रामघाट रोड, अलीगढ

पत्रांक- 2111/OA-425/2024

दिनांक- 11.01.24

सेवा में,

जिलाधिकारी,

कासगंज।

विषयः **मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दायर ओ.ए. संख्या-425/2022 एम.सी. द्विवेदी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 21.12.2023 के अनुपालन में के सम्बन्ध में।**

महोदया,

कृपया उपरोक्त विषयक का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दायर ओ.ए. संख्या-425/2022 एम.सी. द्विवेदी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 21.12.2023 के सम्बन्ध में आच्छादित ईंट भट्ठे मै0 उजाला ब्रिक्स, (वर्तमान नाम-मै0 जे0पी0 ईंट भट्ठा) ग्राम-रामछितौनी, पोस्ट-गढ़का, थाना-गंजडुडवारा, तहसील-सहावर, जनपद-कासगंज, मै0 सरपंच ईंट उद्योग, ग्राम-रामछितौनी, पोस्ट-गढ़का, थाना-गंजडुडवारा, तहसील-सहावर, जनपद-कासगंज, मै0 फेमस ब्रिक्स, ग्राम-खरपरा, थाना-गंजडुडवारा, तहसील-सहावर, जनपद-कासगंज एवं मै0 डायमण्ड ब्रिक फील्ड, ग्राम-रामछितौनी, पोस्ट-गढ़का, थाना-गंजडुडवारा, तहसील-सहावर, जनपद-कासगंज का निरीक्षण किया गया था। विस्तृत निरीक्षण आख्या इस कार्यालय के पत्र दिनांक 08.01.2024 के माध्यम से उपजिलाधिकारी, सहावर, क्षेत्राधिकारी पुलिस, सहावर एवं खान निरीक्षक, कासगंज को बन्दी आदेश का अनुपालन कराने एवं मिट्टी खनन कर कच्ची ईंट पथाई पर रोक लगाने हेतु अनुरोध किया गया था। अग्रेतर अवगत कराना है कि शिकायतकर्ता द्वारा ईंट भट्ठा संचालन होने एवं मिट्टी खनन कर कच्ची ईंट पथाई की शिकायत की जा रही है, जिसके क्रम में इस कार्यालय द्वारा दिनांक 10.01.2024 को खान निरीक्षक एवं उपजिलाधिकारी, सहावर, कासगंज के कार्यालय में उपस्थित होकर बन्दी आदेश प्रभावी होने एवं मा0 राष्ट्रीय हरित अधिरकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन होने के उपरान्त भी संचालित एवं मिट्टी खनन कर कच्ची ईंट की पथाई को बन्द कराने का अनुरोध किया गया हैं। उपजिलाधिकारी, सहावर, कासगंज द्वारा

EEQ/sr.U.

15.1.24

अवगत कराया गया कि वर्तमान जिलाधिकारी द्वारा हमे ईंट भट्ठा बन्द कराने हेतु कोई आदेश प्राप्त नहीं है। दिनांक 10.01.2024 को उपजिलाधिकारी, सहावर, कासगंज एवं खान निरीक्षक द्वारा दूरभाष पर हुई वार्ता के अनुक्रम में आख्या तैयार की गयी है (छायाप्रति संलग्न)। अतः आपसे अनुरोध है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दायर ओ.ए. संख्या–425/2022 एम.सी. द्विवेदी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में प्रकरण विचारधीन है, जिसमें समय–समय पर मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा आदेश पारित किये जा रहे हैं। बन्दी आदेश प्रभावी होने के उपरानत भी संचालित एवं मिट्टी खनन कर कच्ची ईंट की पथाई कर रहे ईंट भट्ठों का संचालन एवं मिट्टी खनन कर कच्ची ईंट पथाई का कार्य रोके जाने हेतु उपजिलाधिकारी, सहावर, कासगंज, क्षेत्राधिकारी, पुलिस, सहावर, कासगंज एवं खान निरीक्षक, कासगंज को निर्देशित करने की कृपा करें, जिससे कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में पारित आदेशों एवं बोर्ड मुख्यालय द्वारा जारी बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित हो सके।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(डॉ0 पी0पी0 सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0)

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–4), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), कासगंज।
3. उपजिलाधिकारी तहसील–सहावर, जनपद–कासगंज।
4. जिला खान अधिकारी, कासगंज।

क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0)

संलग्नक -6

बन्दी आदेश का अनुपालन

बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H89504/सी-4/ईट-1043/प्र-दो/2028 दिनांक 21-2-23 के द्वारा मै0 [illegible] (प्रोपराइटर [illegible]) को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा 31ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश जारी किये गये है। उक्त ईट भट्ठे का निरीक्षण जिला प्रशासन [illegible] के साथ संयुक्त रूप से दिनांक 15-1-24 को किया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्ठे के प्रतिनिधि के रूप में श्री कुलदीप सिंह मो.नं. 7452980389 उपस्थित थे। उक्त ईट भट्ठे का संचालन दिनांक 15.01.24 को बन्द करा दिया गया है। बन्दी आदेश की प्रति ईट भट्ठे के प्रतिनिधि कुलदीप सिंह को एवं सम्बन्धित थाना [illegible] के प्रतिनिधि श्री [illegible] प्रदीप कुमार मों. नं. 7037030211 प्राप्त करा दी गयी है।

ईंट भट्ठा प्रतिनिधि
कुलदीप सिंह

उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अलीगढ़ — उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अलीगढ़ — C-1061 प्रदीप कुमार, पुलिस विभाग [illegible] — खान निरीक्षक [illegible] 15/1/24

अग्निशमन विभाग [illegible] — नायब तहसीलदार [illegible]

बन्दी आदेश का अनुपालन

बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक H.80617/सी-4/इट-1041/व-दीआदेश/2022 दिनांक 29.22 के द्वारा मे० श्रीराम ब्रिक्स ग्राम खरपरा थाना गंज डुण्डवारा तहसील सहावर कासगंज को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधि) की धारा 31ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश जारी किये गये है। उक्त ईट भट्ठे का निरीक्षण जिला प्रशासन कासगंज (सहावर) के साथ संयुक्त रूप से दिनांक 15.1.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्ठे के प्रतिनिधि के रूप में श्री शाकिद मो.नं. .... उपस्थित थे। उक्त ईट भट्ठे का संचालन दिनांक 15.1.24 को बन्द करा दिया गया है। बन्दी ओदश की प्रति ईट भट्ठे के प्रतिनिधि शाकिद को एवं सम्बन्धित थाना गंज डुण्डवारा के प्रतिनिधि श्री का० प्रदीप कुमार मों. नं 7037030211 प्राप्त करा दी गयी है।

ह० शाकिद
ईट भट्ठा प्रतिनिधि

उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अलीगढ़ | उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अलीगढ़ | C-1061-प्रदीप कुमार पुलिस विभाग गंज डुण्डवारा | 15/1/24 खान निरीक्षक कासगंज

अग्नि शमन विभाग सहावर | नायब तहसीलदार सहावर कासगंज

संलग्नक-7

क्षेत्रीय कार्यालय एवं प्रयोगशाला
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़
REGIONAL OFFICE & LABORATORY
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, ALIGARH

पत्रांकः-2508/OA No-425/2022/24 दिनांकः-08-02-24

सेवा में,

जिलाधिकारी महोदया,
कासगंज।

विषय :-मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दायर ओ0ए0 संख्या-425/2022 एम0सी0 द्विवेदी बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.12.2023 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दायर ओ0ए0 संख्या-425/2022 एम0सी0 द्विवेदी बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य में सन्दर्भित ईट भट्ठे मै0 मै0 उजाला ब्रिक्स, ग्राम छितौनी, गढ़का, तहसील सहावर, जनपद कासगंज एवं मै0 फेमस ब्रिक्स, ग्राम खरपरा, थाना गंजडुडवारा, तहसील सहासवर , जनपद कासगंज का निरीक्षण कार्यालय द्वारा दिनांक 07.02.2024 को किया गया। निरीक्षण के दौरान सन्दर्भित दोनों ईट भट्ठे संचालित पाये गये। दोनों ईट भट्ठों की विस्तृत निरीक्षण आख्या इस कार्यालय के पत्रांकः 2498 दिनांक 07.02.2024 एवं पत्रांकः 2497 दिनांक 07.02.2024 के माध्यम से ईट भटठो के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति दिनांक 07.02.2024 तक अधिरोपित किये जाने के साथ-साथ अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु प्रेषित की गयी है।

अतः सन्दर्भित ईट भट्ठों की विस्तृत निरीक्षण आख्या पत्र के साथ संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण में सुनवाई की जा रही है। अग्रेत्तर अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.12.2023 का अनुपालन कराये जाने हेतु पूर्व में इस कार्यालय के पत्रांकः 2111 दिनांक 11.01.2024 द्वारा भी पत्र प्रेषित किया गया है। शिकायतकर्ता द्वारा सुनवाई के दौरान ईट भट्ठों के संचालन की सूचना भी दी जाती है, जिस पर मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा रोष व्यक्त किया जाता है तथा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा कोई प्रतिकूल आदेश पारित न हो, इसको दृष्टिगत रखते हुए ईट भट्ठों के विरूद्ध जारी बन्दी आदेश सुनिश्चित कराये जाने हेतु सम्बन्धित उप जिलाधिकारी, सहावर, जनपद कासगंज एवं क्षेत्राधिकारी (पुलिस), सहावर, खान निरीक्षक, कासगंज को अपने स्तर से भी निर्देशित करने की कृपा करें, जिससे मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में पारित आदेशों एवं बोर्ड मुख्यालय द्वारा जारी बन्दी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित हो सके।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(डा0 जे0पी0 सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0)

प्रतिपिलि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-4), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. मुख्य विधि अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
3. अपर जिलाधिकारी (वि/रा0), जनपद कासगंज।
4. उपजिलाधिकारी, तहसील सहावर, जनपद कासगंज।
5. जिला खान अधिकारी, जनपद कासगंज।
6. श्री प्रदीप मिश्रा, बोर्ड अधिवक्ता, मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली।

क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0)